## कार बिक्री अनुबंध ₹100/- के स्टांप पेपर पर

यह अनुबंध दिनांक (तारीख) को (स्थान) पर किया गया है।
पक्षकार
पहला पक्षः
······, वाधार नंबर, पैन नंबर –, आधार नंबर
जो आगे "विक्रेता" कहलाएगा, जिसमें विक्रेता के उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरवर्ती एवं नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
दूसरा पक्षः
·····, वाधार नंबर, पैन नंबर –, आधार नंबर
जो आगे "क्रेता" कहलाएगा, जिसमें क्रेता के उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरवर्ती एवं नियुक्त व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
विक्रेता एवं क्रेता को संयुक्त रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।
भूमिका
विक्रेता निम्नलिखित मोटर वाहन का विधिपूर्वक स्वामी है:
निर्माता एवं मॉडल:
निर्माण वर्षः
ri. Alex vur viveru

चेसिस नंबर:
इंजन नंबर:
रंग:
वर्तमान किलोमीटर रीडिंग:
विक्रेता वाहन को बेचना चाहता है और क्रेता इसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार खरीदने के लिए सहमत है।
नियम एवं शर्तें
1. विक्रय मूल्य
वाहन की कुल बिक्री राशि ₹(अक्षरों मेंमात्र) होगी, जिसे क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नलिखित तरीके से भुगतान किया जाएगा:
भुगतान विधि:
भुगतान तिथि:
2. वाहन का हस्तांतरण
पूरी विक्रय राशि प्राप्त होने पर विक्रेता निम्नलिखित दस्तावेज/सामग्री क्रेता को सौंपेगा:
1. मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) — विवरण उल्लेख करें

- 2. बीमा प्रमाणपत्र विवरण उल्लेख करें
- 3. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) विवरण उल्लेख करें
- 4. वाहन की चाबियाँ (दो संख्या में)
- 5. स्पेयर व्हील एवं औजार

## 3. विक्रेता की गारंटी एवं आश्वासन

विक्रेता यह गारंटी देता है कि: 1. वाहन किसी भी प्रकार की गिरवी, दावे या कानूनी विवाद से मुक्त है। 2. वाहन से संबंधित सभी कर एवं बकाया दिनांक ...... तक पूर्ण रूप से अदा कर दिए गए हैं। 3. विक्रेता को वाहन बेचने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्रेता यह स्वीकार करता है कि उसने दो बार वाहन का टेस्ट ड्राइव लिया है और वाहन की स्थिति से संतुष्ट है। यह वाहन "यथास्थिति" (As-Is) के आधार पर बेचा जा रहा है. जिसकी कोई अतिरिक्त वारंटी नहीं दी जा रही है। 4. स्वामित्व हस्तांतरण 1. विक्रेता, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ...... में स्वामित्व हस्तांतरण की औपचारिकताओं को पूरा करने में क्रेता की सहायता करेगा। 2. स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित सभी शुल्क, जैसे कि आरटीओ शुल्क आदि, क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। यातायात उल्लंघन एवं कानूनी दायित्व 1. क्रेता दिनांक ...... के बाद वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंड, जुर्माना, कानूनी दायित्व या दुर्घटना का पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। 2. क्रेता वाहन चलाते समय सभी लागू यातायात नियमों, कानूनों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। 3. विक्रेता वाहन की बिक्री के बाद होने वाले किसी भी कानूनी उल्लंघन, क्षित या कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. यदि दिनांक ...... के बाद किसी भी यातायात उल्लंघन का नोटिस विक्रेता के नाम जारी होता है, तो

क्रेता विक्रेता को किसी भी दायित्व से मुक्त रखेगा।

## 6. न्यायिक क्षेत्राधिकार

यह अ	नुबंध भारत	तीय कानून	नों के उ	अंतर्गत	संचालित	होगा त	था इससे	उत्पन्न	होने वाले	किसी १	भी विवाद	के लि	ए केवल
(स्थान)	) के न्याया	लयों को वि	वेशेष ८	क्षेत्राधिव	गर प्राप्त	होगा।							

			r		
7	क	ाय	न्त	य	न

पक्षकार इस अनुबंध की सभी शर्तों को पढ़कर, समझकर एवं सहमत होकर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

इस्ताक्षर एवं गवाह
वेक्रेताः
गमः
इस्ताक्षर:
नारीखः
रेता:
नाम:
इस्ताक्षर:
नारीखः
ावाह:
ı. नाम:
गताः
इस्ताक्षर:
2. नाम:
गता:

हस्ताक्षर:	